

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 18/2022)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

तत्काल प्रकाशन के लिए

भादूविप्रा ने "दूरसंचार शुल्क (67वां संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 02) जारी किया है

नई दिल्ली, 31 मार्च 2022 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार शुल्क (67वां संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 02)" जारी किया।

- दूरसंचार शुल्क (66वां संशोधन) आदेश, 2022 के तहत, भादूविप्रा ने टीटीओ, 1999 के खंड 6 में उप खंड (xi) और (xii) सम्मिलित किया था जो यह प्रदान करता है कि:  
(xi) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा।  
(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा।
- उक्त टीटीओ (66वें संशोधन) आदेश के जवाब में, भादूविप्रा को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से संदर्भ प्राप्त हुए:
  - अगर ग्राहक वाउचर को महीने की 31 तारीख को रिचार्ज करता है तो रिचार्ज की अगली तारीख क्या होगी?
  - यदि ग्राहक 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किसी भी दिन वाउचर को रिचार्ज करता है तो रिचार्ज की अगली तारीख क्या होगी?
  - दूरसंचार शुल्क आदेश दिनांक 27 जनवरी 2022 के कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा द्वारा प्रदान की गई 2 महीने की समयावधि तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण पर्याप्त नहीं है, इसलिए टीटीओ (66वां संशोधन) आदेश के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।
- उपरोक्त मुद्दों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने "दूरसंचार टैरिफ (67वां संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 02) जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:  
दूरसंचार शुल्क आदेश, 1999 के खंड 6 में, -----
  - उपखंड (xii) को हटा दिया जाएगा;
  - इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों के बाद, उप-खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -  
"(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जो हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख किसी महीने में उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की आखिरी तारीख नवीनीकरण की तारीख होगी। "
- किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ईए), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advfea1@traai.gov.in पर या टेलीफोन क्रमांक +91 11 23230752 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)  
सचिव, भादूविप्रा